भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 805483

यह जनरल स्टाप पेपर श्री कश्यपनाथ रूप विद्या प्रसारक समिति म०नं०-९ न्यू राय कालोनी महेवा चुंगी कोत० - पुलिस कालोनी
जनपद गोरखपुर के रजि नं० ... 03457 9
ई०जी०एस० -पत्र ... के साथ संलग्न है

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ ★ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ★

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
10/5/12

स्मृति–पत्र (संशोधित)

1. संस्था का नाम : श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति

2. संस्था का स्थायी पता : 27–ए, न्यू राय कालोनी, महेवा चुंगी,
पोस्ट : न्यू शिवपुरी कालोनी,
गोरखपुर–273016

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

4. संस्था का उद्देश्य :

1. भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिये प्राथमिक,माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिये शैक्षणिक संस्थाएं खोलना।

2. छात्र–छात्राओं को साहित्यिक, रचनात्मक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा एवं औद्योगिक शिक्षा देना।

3. समाज के पिछड़े हुए लोंगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना एवं क्षेत्र के बालक–बालिकाओं को सुविधा पूर्वक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर (10+2), डिग्री व पोस्ट ग्रजुएट स्तर के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा के विभिन्न संकायों के विषयों की अध्ययन सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना जिससे प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मैनेजमेन्ट की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना और पिछड़े क्षेत्र के अविकसित विद्यालयों के प्रगति के लिये प्रयास करना।

4. शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति लेकर निर्धारित अधिकृत पाठ्यकमों यथा– कला, विज्ञान, विधि, शिक्षा, तकनीकी, कृषि, प्रबन्धन, वाणिज्य, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान, संग्रहालय विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, शारारिक शिक्षा, भाषा, अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण आदि के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करना।

5. नवयुवक एवं नवयुवतियों को रचनात्मक दिशा देने के लिये लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें स्वरोजगार हेतु विभिन्न विधाओं की शिक्षा एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित हार्डवेयर व साफ्टवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के उत्थान हेतु निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना।

Abdul Qadir Khan

Sudhir Kumar

6. समाज को साक्षर बनाने के लिये सर्वशिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना तथा शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित करना तथा इनके रहने के लिये भवन व छात्रावास बनवाना। इसके अतिरिक्त समाज के अधिक उम्र व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

7. भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये शोध संस्थानों की व्यवस्था करना।

8. सामाजिक समरसता के संवर्द्धन हेतु समाजशास्त्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये शोध संस्थान की स्थापना करना।

9. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए संस्था व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्रों यथा– लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, सिलाई–बुनाई केन्द्रों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना करना।

10. दलित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगारपरक शिक्षा का प्रबन्धन एवं उनके स्वतः रोजगार की व्यवस्था करना।

11. ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों एवं समाज के विपन्न वर्गों के बीच सहकारी समितियाँ गठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करना।

12. छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिये अनेक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को संचालित करना।

13. संस्था शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बौद्धिक विकास के लिये वाचनालयों, संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था करेगी।

14. संस्था प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देगी।

15. संस्था ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास के लिये कृषकों को कृषि सम्बन्धी आधुनिक जानकारी देने के लिये कार्यशाला की व्यवस्था करेगी जिसमें देशी–विदेशी कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाएगा।

16. समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य और परिवार–नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाने के लिये संस्था निःशुल्क चिकित्सा शिविरों से लेकर दृश्य श्रवण माध्यमों से प्रचार आदि का सहयोग लेगी। इसके अतिरिक्त दैवी आपदाओं और महामारियों के दौरान सेवा शिविर तथा समय–समय पर रक्तदान शिविर भी लगाये जायेंगे। संस्था चिकित्सा सुधारों के विस्तार के लिये निःशुल्क चिकित्सा केन्द्रों, अस्पतालों, परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना और संचालन आदि का प्रयास करेगी।

Sudhir Kumar Rai

Jatashankar Singh

Abdul Kadir Khan

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

17. संस्था युवकों एवं महिलाओं के अधिकारों और उनकी शक्ति और ऊर्जा के सुनियोजन के लिये रचनात्मक आयोजन करेगी तथा प्रतिभाओं के उन्नयन हेतु शैक्षणिक, सांस्कृतिक और कीड़ा स्पर्धाएं भी आयोजित करेगी। इसी कम में संगोष्ठियों, निबन्ध लेखन, विचार–विमर्श सभाओं आदि का नियमित आयोजन कर संस्था विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिलब्ध हस्तियों को आमन्त्रित करेगी।

18. विकलांग तथा दलित बच्चों के कल्याण एवं शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।

19. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था भवनों, जमीनों एवं अन्य चल–अचल सम्पत्तियों को दान में प्राप्त कर सकती है, उसका प्रबन्ध एवं रख–रखाव कर सकती है, हस्तान्तरित कर सकती है और कय कर सकती है।

20. संस्था अपने उद्देश्यों के लिये उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी, गैर सरकारी, वित्तीय संस्थाओं, संसद एवं विधान सभा के प्रतिनिधियों, औद्योगिक घरानों, विदेशों में रह रहे भारतीयों, व्यक्तियों आदि से आर्थिक सहयोग (दान) एवं ऋण प्राप्त करेगी।

5. **संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है :–**

कम संख्या	नाम तथा •पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	प्रो० जयमल राय पुत्र स्व० बृज विहारी राय	आजाद नगर कालोनी, रूस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।	अध्यक्ष	शिक्षक
	श्री विश्वनाथ राय पुत्र स्व० भागीरथी राय	ग्रा० व पो० डुमरैला जिला – गोरखपुर	उपाध्यक्ष	शिक्षक
3.	डॉ० सुधीर कुमार राय पुत्र डा० अखिलानन्द राय	27–ए, न्यु राय कालोनी, महेवा चुंगी, गोरखपुर	सचिव/प्रबन्धक	शिक्षक
4.	श्रीमती सीमा राय पत्नी श्री अनिल कुमार राय	620/27–ए, तुलसी विहार, डब्ल्यू ब्लाक, केशव नगर, कानपुर	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय
5.	डा० अब्दुल कादिर खान पुत्र मो० गुल खान	मेंहदावल चौराहा, खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर	सदस्य	चिकित्सक

Sudhir Kumar Rai
Abdul Kadir Khan

सहायक रजिस्ट्रार

6.	प्रो० महेश्वरी प्रसाद पुत्र स्व० गोविन्द प्रसाद	पार्श्वनाथ विद्यापीठ, करौंदी, वाराणसी	सदस्य	शिक्षक
7.	श्री दयानन्द राय पुत्र स्व० कल्पनाथ राय	ग्राम काछी कलॉ, पोस्ट कोपागंज, जिला मऊ	सदस्य	शिक्षक
8.	डा० जटाशंकर सिंह पुत्र स्व० रंगबहादुर सिंह	सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी	सदस्य	चिकित्सक
9.	श्री अखिलेश्वर शाही पुत्र स्व० विश्वनाथ शाही	बांसगॉव कालोनी, बिलन्दपुर, गोरखपुर	सदस्य	अधिवक्ता

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति–पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर

1. [signature]
2. [signature]
3. Sudhir Kumar Rai
4. सीमा राय
5. Abdul Qadir Khan
6. महेश्वरी प्रसाद
7. दयानन्द राय
8. Jatashankar Singh
9. अखिलेश्वर शाही

सत्य – प्रतिलिपि
[signature]
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
10/4/12

प्रतिलिपि कर्ता [signature]
मिलान कर्ता [signature]
10/4/12

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

पंजीकरण संख्या 395 79

आलेख का क्रम I

स्मृति पत्र

नियमावली

आज दिनांक 28/2/12

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अन्तर्गत निबन्धन की गयी।

28.2.12

सहायक निबन्धक

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 805484

यह अनरक्त स्टाप पपर श्री कृष्ण मानव रत्न विद्या प्रसारक समिति
[illegible] न्यू रथ कालोनी [illegible] चुंगी जी० न्यू [illegible] कालोनी
जिला [illegible] क्र० सं० जी० 34579
श्री [illegible] के साथ संलग्न है

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबंधक सोसाइटीज उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
18/5/12

नियमावली (संशोधित)

1. संस्था का नाम : **श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति**

2. संस्था का स्थायी पता : 27–ए, न्यू राय कालोनी, महेवा चुंगी,
पोस्ट : न्यू शिवपुरी कालोनी,
गोरखपुर–273016

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

4. संस्था का उद्देश्य : जैसा कि स्मृति पत्र में दिया गया है।

5. संस्था की सदस्यता : संस्था के उद्देश्यों, नियमों में निष्ठा रखने वाले सदस्यों की सदस्यता की शर्ते निम्नवत् होगी–

(क) कोई व्यक्ति जो तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार वयस्क एवं स्वस्थचित्त हो और संविदा करने के लिये अनर्ह या उन्मुक्त दिवालिया न हो, समिति का सदस्य सचिव/प्रबन्धक की लिखित अनुमति से हो सकता है।

(ख) सदस्यता के लिये आवेदन पत्र सचिव/प्रबन्धक को प्राप्त होने पर सचिव/प्रबन्धक की लिखित अनुमति व सहमति दिये जाने के बाद ऐसे आवेदन के प्राप्ति के तीन माह के अन्दर संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा और निर्णय की तिथि से 15 दिन के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी सदस्यता के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा। इस प्रकार के निर्णय से संसूचित होने के उपरान्त स्वीकृत वर्ग की सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क को सचिव/प्रबन्धक के पास जमा कर उसकी हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त कर सदस्यता की शर्तों से सम्बन्धित घोषणा पत्र पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने पर ही किसी व्यक्ति की सदस्यता मान्य होगी।

(ग) प्रत्येक वर्ग की सदस्यता के लिये निर्धारित शुल्क के साथ ही प्रवेश शुल्क रू० 100/ जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) सदस्यों का वर्ग :

(i) **आजीवन सदस्य** : जो व्यक्ति संस्था के सामान्य सदस्य के रूप में दो वर्ष तक कार्य कर चुका होगा, वो व्यक्ति एक बार में एक लाख रूपये या इससे अधिक शुल्क निःस्वार्थ भाव से देकर संस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा तथा उन्हें संस्था के प्रबन्धन एवं संचालन के सम्बन्ध में विशेष अधिकार प्राप्त होगा।

Sudhir Kumar Rai
Jatashankar Singh
Abdul Kadir Khan

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(ii) **विशिष्ट सदस्य** : जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषी भाव रखेगा तथा संस्था के सामान्य सदस्य के रूप में कम से कम दो वर्ष तक कार्य कर चुका होगा और दो हजार रूपये सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष नियमित रूप से देता रहेगा, वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।

(iii) **सामान्य सदस्य** : जो व्यक्ति संस्था के हित के लिये कार्यरत रहेगा एवं संस्था को एक हजार रूपये वार्षिक चन्दा देगा वह व्यक्ति संस्था का सामान्य सदस्य होगा। संस्था के इस कोटि के सदस्य लगातार दो वर्ष तक सदस्य बने रहने के उपरान्त ही साधारण सभा की बैठकों में भाग ले सकेंगे किन्तु किसी प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस वर्ग के सदस्यों के द्वारा दो वर्ष का नियमित शुल्क न दिये जाने पर उनकी सदस्यता स्वयमेव समाप्त समझी जायेगी।

(v) **सदस्यता की समाप्ति** : संस्था के सदस्यों की सदस्यता निम्न दशाओं में स्वतः समाप्त हो जाएगी अथवा की जा सकती है–

(क) जबकि सदस्य की मृत्यु हो जाए।
(ख) जबकि कोई सदस्य विकृतचित्त (पागल) अथवा शरीर से विकृत (कोढ़ी) हो जाए।
(ग) किसी न्यायालय द्वारा समाज विरोधी कार्य करने के अपराध में दण्डित कर दिया जाए।
(घ) दिवालिया हो जाए।
(ङ) संस्था के शुल्क को प्रतिवर्ष न देना या संस्था द्वारा अधिकृत रसीद पर सदस्य न होने पर सदस्यता समाप्त समझी जाएगी।
(च) त्याग पत्र देने या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
(छ) संस्था द्वारा बुलाई गयी बैठकों में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी, चाहे वह किसी वर्ग का सदस्य होगा या संस्था के किसी भी अंग का सदस्य होगा। उपरोक्त नियम सब पर लागू होगा।
(ज) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने या संस्था के किसी पदाधिकारी से अभद्रता किये जाने पर अथवा संस्था के हितों के विपरीत कार्य करने पर किसी सदस्य की सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा अपने सामान्य बहुमत से निरस्त की जा सकेगी।
(झ) किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उसे अपने पद से तत्काल मुक्त समझा जाएगा।

Abdul Qadir Khan

6. संस्था के अंग :

संस्था के दो अंग (सभाएं) होंगी–
(अ) साधारण सभा
(ब) कार्यकारिणी सभा (प्रबन्ध समिति)

Sudhir Kumar Rai
सीमाराम
Jatashankar Singh

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

(अ) साधारण सभा

(i) गठन :

संस्था के आजीवन सदस्य, विशिष्ट सदस्य एवं सामान्य सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेंगे।

(ii) बैठक :

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी, परन्तु यदि आवश्यक समझी गयी तो सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

(iii) सूचना अवधि :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को बैठक की तिथि से 15 दिन पहले दी जाएगी। परन्तु विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जाएगी।

(iv) गणपूर्ति :

साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा। किन्तु एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर अगली बैठक के लिये कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(v) अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा। उसकी तिथि, समय एवं स्थान प्रवन्धकारिणी समिति बहुमत से तय करेगी। आकस्मिक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(vi) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का प्रत्येक पाँच वर्ष पर चुनाव करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति की अनुशंसा पर गत वर्ष के बजट की समीक्षा तथा चालू वर्ष का बजट पास करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत विषयों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना।
4. समयानुकूल विधान में संशोधन, संस्था की प्रगति का सिंहावलोकन, आर्थिक पहलू, विस्तार, संगठन इत्यादि पर निर्णय लेना।
5. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
6. संशोधन प्रकिया दो तिहाई बहुमत से पारित करना।
7. कर्मचारियों एवं आडिटर की नियुक्ति का अनुमोदन करना।
9. संस्था के कार्यो को सुचारु रुप से संचालित करने के लिये उपसमिति का गठन करना तथा उसके व्यवस्था के लिये उपनियमों व विनियमों का निर्धारण करना और अतिरिक्त प्राविधानों का भी निर्धारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार करना।
8. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार करना, यदि वह संस्था के हितों के विरूद्ध न हो। अन्य सभी कार्य करना जो संस्था की प्रगति में सहयोगी हों।

Sudhir Kumar Rai सीमा राय Jatashankar Singh महेश्वरी प्रसाद Abdul Qadir Khan

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

विशेष–

संस्था द्वारा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

I) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
II) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
III) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
IV) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
V) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
VI) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
VII) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्मित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
VIII) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
IX) उक्त शर्तों में बिना शासन के पुर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

(i) गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन पाँच वर्षों के अन्तराल पर साधारण सभा के अर्ह सदस्यों द्वारा चुने गये पदाधिकारी एवं सदस्य मिलकर करेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति में चार पदाधिकारी एवं पाँच सदस्य होंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

(क)	अध्यक्ष	(एक)
(ख)	उपाध्यक्ष	(एक)
(ग)	सचिव/प्रबन्धक	(एक)
(घ)	कोषाध्यक्ष	(एक)
(ङ)	सदस्य, प्रबन्धकारिणी समिति	(पाँच)

भविष्य में आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों व सदस्यों की संख्या घट–बढ़ सकती है। संस्था में पदाधिकारियों का निर्वाचन मूलतः बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

(ii) बैठक :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(iii)सूचना अवधि:

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सचिव द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सात दिन पूर्व दी जाएगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।

(iv)गणपूर्ति:

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कार्यकारिणी सदस्यों के 2/3 की उपस्थिति के आधार पर होगी। परन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठक 1/3 सदस्यों की उपस्थिति पर भी सम्पन्न हो सकती है।

(v) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में कोई भी स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा सचिव/प्रबन्धक की संस्तुति पर शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से की जाएगी। परन्तु अध्यक्ष अथवा सचिव/प्रबन्धक पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति आजीवन कोटि के ही सदस्यों में से ही की जायेगी।

(vi) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्त्तव्य/अधिकार :

1. संस्था के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना एवं प्रगति की समीक्षा करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट एवं बजट साधारण सभा से अनुमोदित कराना।
3. संस्था की नयी योजनाओं को मंजूरी देना।
4. संस्था के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये उपसमितियों का गठन करना तथा गठित उपसमिति के कार्यों को निर्धारित करने के लिये उपनियम विरचित करना।
5. संस्था की उन्नति के लिये चंदा, दान, ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था करना।
6. संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना-घटाना एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना।
7. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुमोदन, सेवापूर्ति, वेतनवृद्धि एवं आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करना।
8. संस्था के कर्मचारियों, सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक कार्य किये जाने पर उन्हें दण्डित करना या निष्कासित करना।

(v) कार्यकाल :

प्रबन्धसमिति का गठन पाँच वर्ष के लिये होगा।

Abdul Kadir Khan

Sudhir Kumar Rai

Jatashankar Singh

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

8. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

(क) अध्यक्ष

(i) सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठक में शांति–व्यवस्था बनाये रखना।

(ii) सचिव की सलाह पर बैठक बुलाना, अनुमोदन करना तथा इसमें सुविधानुसार परिवर्तन करना।

(iii) प्रबन्धसमिति की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय–समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौपना।

(iv) किसी प्रस्ताव पर समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

(ख) उपाध्यक्ष

(i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त अध्यक्षीय अधिकारों का उपयोग करना।

(iii) बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना।

(ग) सचिव/प्रबन्धक

(i) संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

(ii) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(iii) संस्था के दैनिक कार्यों का संचालन करना तथा अन्य विभागों से सम्पर्क स्थापित कर संस्था के हित में कार्य करना।

(iv) समस्त बिल एवं बाउचर पर हस्ताक्षर करना, पत्र व्यवहार करना, संस्था के विरूद्ध अदालती कार्यवाही देखना तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक बुलाना।

(v) विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों तथा समाज सेवी संस्थाओं से संस्था के हितार्थ समस्त अनुदान, दान, चन्दा प्राप्त करना, उसकी रसीदें देना।

(vi) प्रबन्धकारिणी समिति के परामर्श से वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, निलम्बन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, अवकाशस्वीकृत आदि कार्य करना।

(vii) कोष का समस्त कार्य करना एवं कोष से सम्बन्धित सभी बहियो को अपने हस्ताक्षर से जारी करना तथा संस्था के हित मे कार्य करने वाले व्यक्तियों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें संस्था का सदस्य बनाना, सदस्यता रजिस्टर पर उनका नाम लिखना।

(viii) प्रबन्धकारिणी समिति के चुनाव में नियमानुसार मतदाता सूची जारी करना तथा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के लिये अध्यक्ष को सलाह देना।

(ix) संस्था मे किसी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष को उस परिस्थिति से अवगत कराना तथा अध्यक्ष से मौखिक सलाह लेते हुए संस्था को भंग कर उसका नए सिरे से चुनाव करवाना।

(x) संस्था का धन किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीकृत बैंक में जमा करना तथा निकालना।

(xi) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देख–रेख करना तथा संस्था के सभी प्रकार के चल–अचल सम्पत्तियों के क्रय–विक्रय के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इससे सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना और आवश्यकतानुसार संस्था की सम्पत्तियों को प्रबन्ध समिति की अनुमति से हस्तान्तरित करना अथवा किराया या पट्टे पर देना।

Sudhir Kumar Rai सीमा राम Jatashankar Singh Abdul Kadir Khan

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(द) कोषाध्यक्ष

(i) आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना।
(ii) सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
(iii) संस्था का लेखा–जोखा साधारण सभा के समक्ष रखना।
(iv) सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करना तथा उक्त पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति होने की स्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से करना।

9. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधन प्रकिया प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर साधारण सभा में 2/3 बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

10. संस्था का कोष :

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों से ली गयी राशियां निहित होंगी जिसे किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से जमा किया जाएगा जिसका संचालन सचिव/प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

11. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक (आडिटर) अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जाएगा।

12. संस्था द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध होने वाले मुकदमें की पैरवी सचिव/प्रबन्धक द्वारा की जाएगी।

13. संस्था के अभिलेख :

संस्था के अभिलेखों को तैयार करने तथा उसके रख–रखाव व सुरक्षा का दायित्व सचिव/प्रबन्धक का होगा, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित होंगे–

(i) सदस्यता रजिस्टर
(ii) कार्यवाही रजिस्टर
(iii) स्टाक रजिस्टर
(iv) कैशबुक इत्यादि

Abdul Qadir Khan

सीमा राय

Jatashankar Singh

Sudhir Kumar Rai

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

14. संस्था का विघटन :

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जाएगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक:

हस्ताक्षर

1. अध्यक्ष :

2. उपाध्यक्ष :

3. सचिव : Sudhir Kumar Rai

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
10/4/12

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
10/4/12

सत्यमेव जयते

पत्रावली संख्या ....

आलेख का क्रम ....

स्मृति पत्र

नियमावली ....

आज दिनांक ....

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अन्तर्गत निबन्धन की गयी।

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

उत्तर प्रदेश, गोरखपुर